

सं. 4/23/2019-आ. वै. एवं सतर्कता

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

आयोग बैठक एवं सतर्कता अनुभाग

तृतीय तल (दक्षिण), सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

परिपत्र

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के परिपत्र सं. 05/08/2019 दिनांक 02.08.2019 में निहित निर्देशानुसार इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 का आयोजन दिनांक 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2019 तक किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 का आरम्भ दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को सुबह 11.00 बजे शपथ ग्रहण समारोह द्वारा होगा जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रशिक्षण हॉल, पंचम तल (दक्षिण), सेवा भवन, नई दिल्ली पर होगा।

2. अतः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लें।


(सचिन देव वर्मा)
अवर सचिव

सेवा में,

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (मुख्यालय), केन्द्रीय जल आयोग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अध्यक्ष के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
2. सदस्य (डी एण्ड आर) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सदस्य (आर. एम.) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
4. सदस्य (डब्ल्यू पी एण्ड पी) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
5. मुख्य अभियन्ता (एच. आर. एम.) के निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।



संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे ।